345

वित्तीय स्वीकृति/आयोजनागत
संख्याः /XVII-3/11-01(OBC)/2011

प्रेषक,

आर0के0 चौहान,
अनु सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण उत्तराखण्ड,
हल्द्वानी–नैनीताल।

समाज कल्याण अनुभाग–3 देहरादूनः दिनांक 24 दिसम्बर, 2011

विषयः **कुमाँऊ इंजीनियरिंग कालेज, द्वाराहाट में पिछड़ी जाति के छात्राओं एवं छात्रों के 78 बेडेड एवं 100 बेडेड छात्रावास निर्माण के प्रथम चरण की वित्तीय स्वीकृति।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक, विपिन त्रिपाठी, कुमाँऊ प्रोद्योगिकी संस्थान, अल्मोड़ा के पत्र संख्या बीटीकेआईटी/सिविल/874/2011 दिनांक 04 दिसम्बर, 2011 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा कुमाँऊ इंजीनियरिंग कालेज, द्वाराहाट में पिछड़ी जाति के छात्राओं एवं छात्रों के 78 बेडेड एवं 100 बेडेड छात्रावास निर्माण हेतु उ0प्र0रा0नि0नि0लि0 द्वारा प्रथम चरण में रू0 10.23 लाख (रूपये दस लाख तेईस हजार मात्र) का आंगणन प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2011–12 के प्रथम चरण के उक्त आंगणन प्रस्ताव का वित्त विभाग के तकनीकी परीक्षणोपरान्त संस्तुत व्ययगत कमशः रू0 3.25 लाख तथा रू0 4.04 लाख अर्थात कुल ***रू0 7.29 लाख (रूपये सात लाख उनतीस हजार मात्र)*** की औचित्यपूर्ण धनराशि पर वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए इतनी ही धनराशि निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन निर्वतन पर रखते हुए व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैंः–

1. वित्तीय स्वीकृति के आधार पर निर्माण संगठन/कार्यदायी संस्था द्वारा समस्त प्रक्रियात्मक कार्यों को समयबद्ध रूप से पूर्ण किया जायेगा। तत्पश्चात निर्माण संगठन/कार्यदायी संस्था द्वारा एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट विस्तृत आंगणन के आधार पर तैयार की जायेगी।
2. कार्य करने से पूर्व उतना ही व्यय किया जाये जितनी धनराशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत धनराशि से अधिक का व्यय कदापि न किया जाये।
3. कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए एवं लो0नि0वि0 द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित करें।
4. कार्य करने से पूर्व उच्चाधिकारियों एवं भूगर्भवत्ता (कार्य की आवश्यकतानुसार) से कार्य स्थल का भली–भॉति निरीक्षण अवश्य करा लिया जाए तथा निरीक्षण के पश्चात दिये गये निर्देशों के अनुरूप ही कार्य कराया जाए।
5. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 2047/XIV–219(2006) दिनांक 30 मई, 2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से पालन करने का कष्ट करें।
6. यदि विभिन्न मदों हेतु स्वीकृत धनराशि अवशेष रहती है तो उक्त धनराशि द्वितीय चरण के आंगणन में समायोजित की जाये।
7. किसी भी दशा में एकमुश्त व्यवस्था के अन्तर्गत मात्र प्लिन्थ एरिया दरों पर बने आंगणनों पर स्वीकृति नहीं दी जायेगी।
8. कार्य प्रारम्भ कराने से पूर्व उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
9. उक्त आवंटित धनराशि किसी ऐसी मद पर व्यय करने से पूर्व वित्तीय हस्त पुस्तिका के अन्तर्गत शासन या अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति आवश्यक हो तो ऐसा व्यय अपेक्षित स्वीकृति प्राप्त करके ही किया जाए।
10. उक्त धनराशि का व्यय मितव्ययता को दृष्टिगत रखते हुए नियमानुसार अनुमन्यता के आधार पर किया जायेगा तथा स्वीकृत धनराशि का व्यय नई मदों में कदापि नहीं किया जायेगा। व्यय उन्ही मदों में किया जायेगा, जिनके लिए यह स्वीकृत किया जा रहा है।

11. कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आंगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य को प्रारम्भ न किया जाये।
12. निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व सामग्री क किसी प्रयोगशाला से टैस्टिंग करा ली जाए तथा उपर्युक्त पायी जाने वाली सामग्री को ही प्रयोग में लाया जाए।
13. यदि स्वीकृत राशि में स्थल विकास कार्य सम्भव न हो, तो कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आंगणन मानचित्र गठित कर शासन से स्वीकृति प्रापत करनी होगी, स्वीकृत राशि से अधिक कदापि व्यय न किया जाए।
14. कार्यदायी संस्था को डिपॉजिट आधार पर किये जाने वाले निर्माण कार्य एवं साज–सज्जा विषयक सैन्टेज प्रभार शासनादेश संख्याः 163/XXVII(7)/2007 दिनांक 22 मई, 2008 के अनुसार देय होगा।
15. कार्यदायी संस्थाओं द्वारा समय से कार्य पूरा न करने की दशा में debitable आधार पर अन्य एजेन्सी का अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 के अन्तर्गत नियमानुसार चयन कर निर्माण कार्य पूरा किया जायेगा। स्वीकृत निर्माण कार्य को किसी भी दशा में शासन के पूर्वानुमति के बिना, अपूर्ण अवस्था में समाप्त नही किया जायेगा।
16. इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2011–12 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–15 के आयोजनागत पक्ष के लेखाशीर्षक–4225–अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय, उप मुख्य शीर्षक–03–पिछड़े वर्गों का कल्याण, लघुशीर्षक–277–शिक्षा, उप शीर्षक–01–के0आ0/के0पु0यो0–0101–जिला मुख्यालयों में अन्य पिछड़े वर्गों के विद्यार्थियों हेतु छात्रावास का निर्माण (50 प्रतिशत के0स0) के मानक मद–24 वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जाएगा।
17. यह आदेश वित्त विभाग के अ0शा0 संख्याः–363(P)/XXVII(3)/2011 दिनांक 24 दिसम्बर, 2011 प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नकः यथोपरि।

भवदीय,

(आर0के0 चौहान)
अनु सचिव।

पृष्ठांकन संख्याः 1269 (1)/XVII-3/11-01(OBC)/2011 तद्दिनांकित।
प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. निजी सचिव–मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
2. निजी सचिव, मा0 समाज कल्याण मंत्री, उत्तराखण्ड
3. निजी सचिव–मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. मण्डलायुक्त, कुमाऊँ उत्तराखण्ड।
6. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाऐं, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. जिलाधिकारी, नैनीताल।
8. वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, नैनीताल उत्तराखण्ड।
9. निदेशक, बिपिन त्रिपाठी कुमायूं प्रोद्यौगिकी संस्थान, द्वाराहाट, अल्मौड़ा, उत्तराखण्ड।
10. परियोजना प्रबन्धक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0 अल्मौड़ा।
11. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–03, उत्तराखण्ड शासन।
12. बजट, राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून।
13. समाज कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, सचिवालय परिसर, देहरादून।
14. राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून।
15. संयुक्त सचिव, सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को उनके पत्र दिनांक 23.11.2011 के कम में सूचनार्थ।
15. आदेश पंजिका

आज्ञा से,

(आर0के0 चौहान)
अनु सचिव।